मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

अनवान

1. नानुराम पिता लोबा जाति भील आयु बालिग निवासी सोमरवालो का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

वादिया

बनाम

1. उदेराम उर्फ उदा पिता लोबा मुतबन्ना मांगु जाति भील आयु बालिग निवासी सोमरवालो का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. श्री तहसीलदार साहब राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
3. श्री उपपंजीयक साहब राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र घोषणा ,इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट ::–

प्रकरण संख्या :– 106/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री भैरूलाल अहीर अधिवक्ता वादी एक तरफा प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा सोमरवालो का खेडा पटवार हल्का सोमरवालो का खेडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 111 मे दर्ज अंकन आराजीयात आराजी संख्या 403,404,406 कुल किता 3 कुल रकबा 4–03 बीघा का नानुराम,उदेराम पिता लोबा 1/2 उदा मु0 मांगु 1/2 भील0 सा0देह खातेदार के बजाय नानुराम पिता लोबा जाति भील निवासी सोमरवालो का खेडा 1/2 एवं उदेराम उर्फ उदा पिता लोबा मुतबन्ना मांगु जाति भील निवासी सोमरवालो का खेडा 1/2 हक हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन बदस्तुर रखा जावे। साथ ही पक्ष वादि विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदस्त अन्दाजी रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादि को अपने हक हिस्से से बेदखल कर जबरन कब्जा नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करे न ही अपने परिवारजन नौकर एजेन्ट आदि से ही करावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकार लियाा गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:49:04 IST
Reason: SelfAttested

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे	स्टाम्प अर्जी दावा	रूपये	पैसे
मुदई			मुदालयत		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:49:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़